फाइल नं0-71-3002(002)/4/2022-03

30/2025/I/889963/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 25 फरवरी, 2025**

विषय-: वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में 50 बेडेड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेन्सी मेडिसिन 60 बेडेड विभागयुक्त) के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2024-25/478, दिनांक 15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में 50 बेडेड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेन्सी मेडिसिन 60 बेडेड विभागयुक्त) के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3310.53 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 760.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में 50 बेडेड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेन्सी मेडिसिन 60 बेडेड विभागयुक्त) के भवन निर्माण हेतु मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य मद में संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 2384.00 लाख **(रू0 तेईस करोड़ चौरासी लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा तथा उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जाएगी।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
8. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।
9. शासनादेश संख्या-27/2023/I/281925/2023-71-3002(002)/4/2022-03, दिनॉक 28.02.2023 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 23,84,00,000 (रुपये तेईस करोड़ चौरासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 42100310580 मेडिकल कालेज, अयोध्या मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अयोध्या।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अयोध्या।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।